

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या- २१२१-५५। २००८-१११९(५) पटना, दिनांक ..... वर्तमान

पदस्थापन के जिला में लगभग पाँच साल तक पदस्थापित रहने के कारण निम्नांकित चिकित्सकों के नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ- 6 में अंकित जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रंसं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन जिला	नव पदस्थापन जिला
1.	डा० श्रीमती विभा कुमारी सिंह	Bhojpur	जमुई	बक्सर
2.	डा० उमेश्वर प्रसाद सिंह	Bhojpur	जमुई	बक्सर
3.	डा० सैयद नौशाद अहमद	Begusarai	जमुई	खगड़िया
4.	डा० बिजय कुमार	Munger	जमुई	खगड़िया
5.	डा० लखन लाल मंडल		जमुई	शेखपुरा
6.	डा० सूची प्रसाद सिंह	Lakhaisarai	जमुई	जहानाबाद
7.	डा० प्रकाश चन्द्र वर्मा	Muzaffarpur	जमुई	पू० चम्पारण
8.	डा० देव नारायण प्र० साह	Katihar	जमुई	अररिया
9.	डा० अनुपम कुमार सिंह	Banka	जमुई	भागलपुर
10.	डा० शौकत कमाल	Begusarai	जमुई	खगड़िया
11.	डा० रमेश कुमार सिन्हा	Patna	जमुई	नालंदा
12.	डा० खुर्शीद आलम		जमुई	पूर्णियॉ
13.	डा० मदन	Munger	जमुई	भागलपुर
14.	डा० विश्वम्भर ठाकुर	Muzaffarpur	जमुई	पू० चम्पारण
15.	डा० दिलीप कुमार	Chaibasa	जमुई	नालंदा
16.	डा० त्रिपुरारी शरण	Patna	जमुई	रोहतास
17.	डा० जमील अख्तर		जमुई	पूर्णियॉ
18.	डा० बी०एन० झा	Darbhanga	जमुई	मधुबनी
19.	डा० अजीत कुमार	Nawada	जमुई	मुंगेर
20.	डा० बिनोद कुमार		जमुई	मुंगेर
21.	डा० केंपी०लाड़िया	Darbhanga	जमुई	मधुबनी
22.	डा० योगेन्द्र मंडल	Bhagalpur.	जमुई	समस्तीपुर
23.	डा० खालिद अहमद		जमुई	समस्तीपुर

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिलों को सौंपी गयी हैं उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।


*ग्रन्थ*

3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरामित कर देंगे ।

6. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
  
(डा० प्रमोद कुमार)  
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - २/टी- ५५/२००८ - ११९(२)

पटना, दिनांक ३०.६.०८

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पन्त भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ / सभी संबंधित सिविल सर्जन / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग / महानिरीक्षक अभियोजन, बिहार, पटना / सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, स्वास्थ्य / राज्य मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के के सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक / विभाग के सभी पदाधिकारी / उप सचिव के निजी सहायक / विभागीय प्रशास्का पदाधिकारी, २/३/९ एवं कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।